प्रेस नोट दिनांक 11.07.2021

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत रिटायर्ड अध्यापिका हत्या मामलें का हुआ खुलाशा, हत्या में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक टीवी, सेट टाप बाक्स मय रिमोट व चार्जर, मृतिका का कान का टप्स, एक अंगुठी, मोबाइल फोन मय चार्जर व एक मोटरसाइकिल तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद लकड़ी का पटरा बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री धनन्जय मिश्र के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.07.2021 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान ढेकुलिया घाट पुल पर जरिये मुखबिर की सूचना मिली की दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से साथ साई फार्मेसी स्कूल मोड़ के पास चोरी की टीवी व मोबाइल फोन बेचने की बात कर रहे है तथा इनमें से एक व्यक्ति वही है जो शिवनगर कालोनी में मृतिका गीता पाण्डेय के घर आता जाता था। इस सूचना पर विश्वास कर उक्त मुखबिर खास द्वार बताये गये स्थान से दो संदिग्ध व्यक्तियों, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उक्त व्यक्तियों द्वारा अपना नाम क्रमशः श्रीप्रकाश मौर्य पुत्र जयनाथ मौर्य, अमन राय पुत्र संजय कुमार राय निवासीगण निवासी पतिला जमीन पतिला थाना कोपागंज जनपद मऊ बताया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक टीवी, सेट टाप बाक्स मय रिमोट व चार्जर, कान का टप्स, एक अंगुठी, एक मोबाइल फोन मय चार्जर वीवो कम्पनी बरामद हुआ जब बरामद सामान के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तो आना कानी करने लगे।

जब कडाई से पूछताछ किया गया तो उक्त गिरफ्तार अभियुक्त श्रीप्रकाश मौर्या ने बताया कि यह सामान हम लोग बलिया मोड के पास शिवनबर कालोनी में रिटायर्ड अध्यापिका गीता पाण्डेय के घर से उसकी हत्या करने के बाद लूट लिये थे जिसको बेचने के लिए आज ग्राहक ढूंढ रहे थे। जब विस्तार से पूछा गया तो उक्त श्रीप्रकाश मौर्या द्वारा बताया गया कि, मैं मृतका के घर पिछले ढेड वर्ष से आता जाता था और मुझे लगा कि घर में पुराने गहने होंगे और काफी पैसा होगा मुझे पैसे की जरुरत थी और मेरे गाँव का मेरा साथी अमन राय को भी पैसे की जरुरत थी। करीब डेढ माह पूर्व मैने गीता पाण्डेय से एक लाख रुपया उधार मांगा था किन्तु उन्होने बहाना कर मना कर दिया। घटना के करीब एक हफ्ता पूर्व मैं और अमन राय ने योजना बनाई कि शिवनगर में गीता पाण्डेय अकेले रहती है अगर उनकी हत्या कर दिया जाय तो उनके घर में काफी सामान व पैसा मिल जायेगा जिससे हम दोनो का काम हो जायेगा। इस योजना के तहत मैं अमन राय को लेकर गीता पाण्डेय के घर आकर रैकिग कराया था फिर घटना वाले दिन हमदोनो नेघर से धान फैलाने वाला पालिथीन का बड़ा टुकड़ा झोले में रखकर दोपहर करीब दो बजे आये और गीता पाण्डेय के घर गया उनसे बात किया घर के बाहर फावडे से घासो की साफ सफाई किया। गीता पाण्डेय हमलोगो को घर के काम के लिए दिखा रही थी जब गीता पाण्डेय वाथरुम के पास आयी तो मैने आगे से उनका गला पकड़ लिया और मेरा दोस्त अमन राय ने पीछे से मुह दबा दिया गीता राय बचने का प्रयास करने लगी फिर जब उनका शरीर शान्त हो गया तो हमलोगो ने वाथरुम के सामने जमीन पर दाहिने तरफ से जमीन पर गिरा दिया और मुह व सर को तेज से दबाये रहे जब वो मर गयी तब उनके शरीर को मैं दोनो हाथो को तथा अमन राय दोनो पैरो को उठाकर व घसीट कर कमरे में ले आये और उनके कान से टाप्स व हाथ से अंगुठी निकाल कर फिर पालिथीन में लपेट दिया बड़े बाक्स से रजाई गद्दा विस्तर पर निकाल कर बाक्स के अन्दर उनके शव को रखकर और कपड़ो से ढक कर छिपा दिया तथा वही घर में रखे ताले को लगा दिया, गीता पाण्डेय के पहने चश्मे को लोगो को धोखा देने के लिए विस्तर पर रख दिया। घर में तलाश किये कोई गहना पैसा नही मिला सिर्फ दो सौ रुपये लगभग मिले थे जिसका बाद में हमलोगो ने शराब पी लिया था। फिर घर में लगे एलसीडी टीवी मृतका के मोबाईल सेट आफ बाक्स चार्जर इसी गमछे में बांध कर घर में बाहर से ताला लगाकर सामान लेकर गाँव चले आये। मृतका की छोटी मोबाईल व घर की चाभियो को मोटर साईकिल से चलते हुए सिकटिया पुल से जंगल में फेक दिया था जबकि बड़ी मोबाईल लालच में रख लिया था कि इसको बेचने से अच्छा पैसा मिल जायेगा।

जब मृतिका के बेटियों को उक्त गिरफ्तार व्यक्ति को दिखाया गया तो उन्होने आते ही पहचान लिया और बोली की यही व्यक्ति मेरी मा के घर आता जाता था तथा बरामद सामान को दिखाया गया तो उन्होने बताया कि यह समान मेरी मॉ के ही है।

अभियुक्त के निशानदेही पर मोहल्ला शिवनगर कालोनी से खाली पडे प्लाट से हत्या में प्रयुक्त एक अदद लकड़ी का पटरा बरामद किया गया।

इस सम्बन्ध में उक्त पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 262/21 धारा 302,201 भादवि0 में में धारा 394, 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद मोटरसाइकिल पैशन प्रो को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. श्रीप्रकाश मौर्य पुत्र जयनाथ मौर्य निवासी पतिला जमीन पतिला थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. अमन राय पुत्र संजय कुमार राय निवासी पतिला जमीन पतिला थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक टीवी, सेट टाप बाक्स मय रिमोट व चार्जर
2. कान का टप्स, एक अंगुठी।
3. एक मोबाइल फोन मय चार्जर वीवो कम्पनी।
4. एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो यूपी 54 एके 7004।
5. घटना में प्रयुक्त लकड़ी का एक अदद पटरा।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव **प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली**, वरष्टि उ0नि0 मनोज कुमार, आरक्षी पिन्टु कुमार, आ0 अरविन्द कुमार, आ0 रौशन कुमार मु0आ0 चालक रामप्रवेश सिंह **थाना कोतवाली।**

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 11.07.2021 को थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान ताजोपुर के पास से मु0अ0सं0 313/21 धारा 354ख, 504,506 भादवि0 मे वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र लालधर प्रसाद निवासीगण जमीन सरहरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

14 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार–

आज दिनांक 10.07.2021 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जोगीबीर बलुआ टडियाव के पास से सुमित्रा पत्नी स्व0 दुलारे निवासी जोगीबीर बलुआ टडियाव थाना कोपागंज जनपद मऊ से 14 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्ता के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 312/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।